INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

IN-UP03258333034835V

Certificate No.	:	IN-UP03258333034835V
Certificate Issued Date	:	01-Sep-2023 07:37 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14400704/ LUCKNOW SADAR/ UP-LKN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14400704028050015259110V
Purchased by	:	SRI SAI EDUCATIONAL SOCIETY BARABANKI
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	BOARD OF TECHNICAL EDUCATION
Second Party	:	SRI SAI EDUCATIONAL SOCIETY BARABANKI
Stamp Duty Paid By	:	SRI SAI EDUCATIONAL SOCIETY BARABANKI
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

Please write or type below this line

NOTARY R.C. VERMA ... GOVT. OF UTTAR PRADESH

(प्रारूप-"अ")

सत्र 2023–24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी / ट्रस्ट के अध्यक्ष और प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ–पत्र का प्रारूप :

Sworn Before Verified

हम राजकुमार सिंह एवं प्रीति सिंह क्रमशः अध्यक्ष एवं प्रबंधक, श्री साईं एजुकेशनल सोसाइटी, श्रीनगर सिविल लाइन, तहसील सदर, जिला बाराबंकी, उ.प्र. शपथपूर्वक निम्नवत बयान करते हैं :–

प्रबंधक	अध्यक्ष
श्री साईं एजुकेशनल सोसाइटी	श्री साईं एजुकेशनल सोसाइटी

R.C. VERMA
Adv. & Notary
Lucknow U.P. INDIA
Regd. No. 31/64/2005
01/09/2023

Identified by the Deponent/Executant/Surety who has Signed/put T.I. before me

1. यह कि, हमारी सोसाइटी द्वारा साँई कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ग्राम फतेहपुर खास, परगना फतेहपुर, जिला बाराबंकी नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि, हमारी सोसाइटी के नाम ग्राम फतेहपुर खास, परगना फतेहपुर, जिला बाराबंकी में गाटा संख्या–1028 रकबा-1.786 हेक्टेयर में से 1.000 हेक्टेयर भूमि है।
3. यह कि, उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या–1028 रकबा-1.786 हेक्टेयर में से 1.000 हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी की बैठक दिनांक 09.05.2022 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एंव प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एंव प्राविधिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं

NOTARY
R.C. VERMA
Adv. & NOTARY
Lucknow U.P. India
Regd. 31/04/2000
GOVT. OF UTTAR PRADESH

Sworn and verified
Before me

R.C. VERMA
01/09/2023

Singh
प्रबंधक
श्री साँई एजुकेशनल सोसाइटी

अध्यक्ष
श्री साँई एजुकेशनल सोसाइटी

सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

ह0 प्रबंधक

प्रबंधक
श्री साईं एजुकेशनल सोसाइटी

ह0 अध्यक्ष

अध्यक्ष
श्री साईं एजुकेशनल सोसाइटी

NOTARY
R.C. VERMA
Adv. & NOTARY
Lucknow U.P. India
Regd. 31/64/2000
GOVT. OF UTTAR PRADESH

Sworn and Verified
before me

R.C VERMA
Adv. & NOTARY
Lucknow U.P. India
Regd. No. 31/64/2000
9/09/2023